प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–14.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **20 वाहनों से मु0–4700 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 24 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

06 वारण्टी अभियुक्तो के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तो के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 06 वारण्टी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 12. 04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 40 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

02. हरीराम पुत्र ननके निवासी तुम्मनदारपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–153/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. महेश पुत्र दद्दूराम निवासी पृथ्वीनाथ चौराहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–82/19 , धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. विनोद कुमार सोनकर पुत्र रामकिशोर निवासी धरवा चांदपुर बरसेनिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–165/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल–09 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

02 कि0 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राजाबाबू पुत्र जलाल निवासी हरवाहनपुरवा महजिदिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 कि0 50 ग्रा0 नाजायज गांजा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–83/19 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 13.04.2019 को थाना खरगूपुर व0उ0नि0 कन्हैया दीक्षित मय हमराह फोर्स के साथ बिकवा घाट बैरियर चेकिंग में मौजूद थे, दौराने चेकिंग उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 कि0 50 ग्रा0 नाजायज गांजा बरामद कर अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 कन्हैया दीक्षित।
02. का0 शशि कपूर।
03. का0 श्रीनाथ यादव, 04. का0 मनोज कुमार